

सा.का.नि. (अ) -- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,--

(क) सारणी में,--

(i) क्रम सं. 29 के सामने, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “गाढ़े बीजरहित रेजिन” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं0 51 में, स्तंभ (3) की मद 1 के अधीन खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, क्रमशः “कुछ नहीं” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) क्रम सं. 73 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) क्रम सं. 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“73क.	1520 00 00	साबुन के विनिर्माण में उपयोग के लिए अपरिष्कृत ग्लिसरीन	कुछ नहीं	-	5” ;
-------	------------	--	----------	---	------

(v) क्रम सं. 96 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) क्रम सं. 104ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“104घ.	2302 40 00	धान की भूसी	कुछ नहीं	-	-
	2304	सोया तेल निष्कर्षित खली	कुछ नहीं	-	-
	2305	मूंगफली की खली/ खली अवचूर्ण	कुछ नहीं	-	-
	2306 30	सूरजमुखी की खली/ खली अवचूर्ण	कुछ नहीं	-	-
	2306 60 00	ताड़ की मीगी की खली	कुछ नहीं	-	-
	2306 90	कनोला की खली या खली अवचूर्ण, सरसों की खली/ खली अवचूर्ण, धान की खली	कुछ नहीं	-	-” ;

(vii) क्रम सं. 110 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“110क.	2518	भा.मा. : 10346 - 2004 के अनुरूप धात्विक उपयोग के लिए डोलोमाइट	2.5%	-	-” ;
--------	------	---	------	---	------

(viii) क्रम सं. 111 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“111क.	2521	भा.मा. : 10345 - 2004 के अनुरूप धात्विक उपयोग के लिए चूना पत्थर	2.5%	-	-” ;
--------	------	---	------	---	------

(ix) क्रम सं. 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“122.	2701 19 10	कोककारी कोयला	2.5%	2%	-” ;
-------	------------	---------------	------	----	------

(x) क्रम सं. 122क के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) क्रम सं. 123 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) क्रम सं. 124 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“124.	2701 11 00	अंगराशम कोयला	2.5%	2%	-” ;
-------	------------	---------------	------	----	------

(xiii) क्रम सं. 124 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“124क.	2701 19 90	सभी माल	2.5%	2%	-” ;
--------	------------	---------	------	----	------

(xiv) क्रम सं. 125 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) क्रम सं. 126 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“126क.	2707 40 00	नेपथलीन	5%	-	-
126ख.	2707 50 00	सभी माल	2.5%	-	-
126ग	2708	कोल तार पिच	5%	-	-” ;

(xvi) क्रम सं. 138ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“138ग.	2711 11 00 या 2711 21 00	द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (द्र.प्रा.गै.)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	8ख” ;
--------	--------------------------------	--	----------	----------	-------

(xvii) क्रम सं. 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“141.	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 00	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा घरेलू गृहस्थ उपभोक्ताओं या छूट प्राप्त प्रवर्ग के गैर-घरेलू (छू.प्र.गै.घ.) प्रवर्ग के ग्राहकों को आपूर्ति के लिए आयात की गई द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसों (द्र.पे.गै.)	कुछ नहीं	-	-” ;
-------	---	--	----------	---	------

(xviii) क्रम सं. 142क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“142ख.	2711 12 00	प्रोपेन	2.5%	-	-” ;
--------	------------	---------	------	---	------

(xix) क्रम सं. 173 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“173क.	2901 10 00	सभी माल	2.5%	-	-
173ख	2901 21 00	एथिलीन	2.5%	-	-
173ग	2901 22 00	प्रोपिलीन	2.5%	-	-
173घ	2901 24 00	बूटाडीन	2.5%	-	-

173ड	2902 41 00	ओ-जाइलीन	2.5%	-	-” ;
------	------------	----------	------	---	------

(xx) क्रम सं. 178 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“178क.	2905 11 00	मिथाइल ऐल्कोहाल	5%	-	-” ;
--------	------------	--------------------	----	---	------

(xxi) क्रम सं. 185 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “कुछ नहीं” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) क्रम सं. 187क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“187ख.	3823 11 11, 3823 11 12 या 3823 11 19	साबुन और तैली रसायन के विनिर्माण में उपयोग के लिए सभी माल	कुछ नहीं	-	5” ;
--------	---	---	----------	---	------

(xxiii) क्रम सं. 206 के सामने, स्तंभ (3) में मद (क) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(क) विद्युत लैंप/टेबल लैंप/वाल लैंप/सीलिंग लैंप/ डोर लैंप/विंडों लैंप/गार्डन लैंप में फिट किए जाने वाले विद्युत पुर्जे और तारों के रोल्स ;”;

(xxiv) क्रम सं. 211 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“211क.	3208, 3815, 3901 या 3920	ई.वी.ए. (एथिलीन विनाइल ऐसीटेट) शीटों या बैकशीट, जिनका उपयोग सौर प्रकाश वोल्टीय सैलों या मोडयूलों के विनिर्माण में किया जाता है, के विनिर्माण में उपयोग के	कुछ नहीं	-	15क”;
--------	--------------------------------	--	----------	---	-------

		लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (i) ई.वी.ए. रेजिन ; (ii) ई.वी.ए. मास्टर बैच ; (iii) पोली एथिलीन टैराफ्थालेट (पो.ए.टै.) फिल्म ; (iv) पॉली विनाइल फ्लोराइड (पॉ.वि.फ्लो.) ; (v) पॉली विनाइल डी- फ्लोराइड (पॉ.वि.डी-फ्लो.) ; (vi) एडेहेसिव रेजिन ; और (vii) एडेहेसिव कठोरक।			
--	--	---	--	--	--

(xxv) क्रम सं. 230 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“230क.	3823 11 90, 3823 12 00, 3823 13 00, 3823 19 00, या 2915 70	साबुन और तैली रसायन के विनिर्माण में उपयोग के लिए सभी माल	कुछ नहीं	-	5” ;
--------	--	---	----------	---	------

(xxvi) क्रम सं. 233 के सामने, स्तंभ (3) में “होशंगाबाद” शब्दों के पश्चात् “और बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर” शब्द रखे जाएंगे ;

(xxvii) क्रम सं. 233 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“233क.	39 या कोई अन्य अध्याय	सिक्युरिटी पेपर के विनिर्माण में उपयोग के लिए सिक्युरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद और बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,	कुछ नहीं	कुछ नहीं	5”;
--------	-----------------------	--	----------	----------	-----

		मैसूर को प्रदाय के लिए सिक्कुरिटी फाइबर, सिक्कुरिटी धागे के विनिर्माण के उपयोग के लिए कच्ची सामग्री			
--	--	---	--	--	--

(xxviii) क्रम सं. 244 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “कुछ नहीं” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) क्रम सं. 282 के सामने, स्तंभ (3) की मद (i) में, “फ्यूजीबिल” शब्द के स्थान पर “संगलनीय और गैर- संगलनीय” शब्द रखे जाएंगे ;

(xxx) क्रम सं. 284 के सामने, स्तंभ (3) की मद (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“(त) संगलनीय कशीदाकारी मोटिफ और छपाई ;

(थ) चोरी रोधी युक्तियां जैसे लेबुल, टैग और संवेदक ;

(द) पैकिंग के लिए पिन बुलेट, प्लास्टिक टैग बुलेट, धात्विक टैब, कमान, बलय और सलाइडर तथा बलय ;”;

(xxxix) क्रम सं. 312क के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “कुछ नहीं” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) क्रम सं. 313 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) क्रम सं. 314 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) क्रम सं. 315 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) क्रम सं. 334 के सामने, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7219, 7220, 7225 30 90, 7225 40 19, 7225 50 या 7225 99 00” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) क्रम सं. 335 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“335क.	7326 90 99	वायु प्रचालित विद्युत जनित्रों में उपयोग के लिए विशेष बियरिंग के विनिर्माण के लिए फोर्ज इस्पात बलय	5%	-	46
335ख	7408	सौर प्रकाशीय सैलों या मोड्यूल के लिए प्रकाशीय रिबन (आभायित ताम्र अन्तरसंबंधक) के विनिर्माण में उपयोग के लिए चपटे ताम्र के तार	कुछ नहीं	-	15क” ;

(xxxvii) क्रम सं. 417 के सामने,--

(i) स्तंभ (3) की मद (2) के पश्चात्, निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“(3) उपर्युक्त (2) में जो वर्णित हैं उससे भिन्न मैब्रेन सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले कास्टिक सोडा इकाई या कास्टिक पोटाश इकाई के लिए अपेक्षित पुर्जे ;

(ii) स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “5%” प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) क्रम सं. 432 के सामने, स्तंभ (3) में “19 इंच और अधिक” अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(xxxix) क्रम सं. 432 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“432क.	8540 11	कैथोड किरण टेलीविजन के विनिर्माण में उपयोग के लिए रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूब	कुछ नहीं	-	-
--------	---------	---	----------	---	---



432ख.	8529 40 16	शीर्ष 8529 के लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनल के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (i) खुले सैल (15.6" और अधिक); (ii) प्लेट विसारक; (iii) फिल्म विसारक; (iv) परावर्तक शीट; (v) फिल्म, शीर्ष; (vi) फिल्म, मध्य; (vii) फिल्म, तल; (viii) बार, एलईडी; (ix) गद्दी/गैसकेट; (x) बैजल; (xi) पिछला आवरण शीट	कुछ नहीं	-	5" ;
-------	------------	---	----------	---	------

(x1) क्रम सं. 433 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"433क.	8543	ई-रीडर्स	कुछ नहीं	-	-
433ख.	8548 10 10 या 8548 10 20	बैटरी स्क्रैप और बैटरी अपशिष्ट	5%	.	-";

(xli) क्रम सं. 468 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlii) क्रम सं. 490 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“490क.	90 या कोई अन्य अध्याय	सुबाहय एक्सरे मशीन/प्रणाली	कुछ नहीं	-	89क”।
--------	-----------------------	----------------------------	----------	---	-------

(ख) सारणी के पश्चात् परन्तुक में खंड (खख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(खग) 1 जनवरी, 2015 को या उसके पश्चात् उक्त सारणी के क्रम सं० 104घ के सामने विनिर्दिष्ट माल ;”

(ग) उपाबंध में,-

(i) शर्त सं० 8क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“8ख.	यदि द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की बाबत, जिसके लिए छूट का दावा किया जाता है,--  (क) आयातकर्ता प्रवेशपत्र में एलएनजी की वह मात्रा उपर्दशित करता है जिसके लिए छूट का दावा किया गया है ; और  (ख) आयातकर्ता निर्यात के स्थान पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क या उपायुक्त, सीमाशुल्क से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि एलएनजी की उस मात्रा का, जिसके लिए छूट का दावा किया जा रहा है, वास्तव में गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा पूर्व मास के दौरान भारत में एलएनजी के आयात पर आधारित पाकिस्तान को पुनः गैसीकृत एलएनजी के प्रदाय के लिए गेल द्वारा की गई संविदा के अधीन पाकिस्तान को समतुल्य मात्रा के अनुसार निर्यात किया गया है ।”।
------	---

(ii) शर्त सं० 9 के सामने, खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(iii) शर्त सं० 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“15क.	यदि आयातकर्ता आयात के समय,--
-------	------------------------------

	<p>(क) सभी मामलों में यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को ऐसे किसी अधिकारी से जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं है छूट प्रदान करने की सिफारिश करने वाला प्रमाणपत्र देता है और उक्त अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि माल विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ; और</p> <p>(ख) यथास्थिति, उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क को इस आशय का वचनबंध देता है कि,--</p> <p>(i) वह आयातित माल का उपयोग विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए करेगा ; और</p> <p>(ii) यदि वह मद (i) का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह आयातित माल पर उदग्रहणीय शुल्क यदि इस अधिसूचना के अधीन छूट न दी गई होती, और आयात के समय पहले से संदत्त शुल्क के बीच अन्तर के समान रकम का संदाय करेगा ।”</p>
--	---

(iv) शर्त सं0 24 में,--

(क) खंड (क), खंड (ग) और खंड (घ) में “परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् या चमड़ा निर्यात परिषद्” शब्दों के स्थान पर, “परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् या भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् या चमड़ा निर्यात परिषद्” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में “यथास्थिति, वस्त्र परिधानों (हथकरघा परिधानों से भिन्न) या चमड़े के परिधानों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के तीन प्रतिशत” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“वस्त्र परिधानों (हथकरघा परिधानों से भिन्न) के पोतपर्यन्त निशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत या चमड़े के परिधानों के पोतपर्यन्त निशुल्क मूल्य के 3 प्रतिशत”;

(v) शर्त सं0 40 में “निदेशक (रोलिंग स्टॉक, विद्युत और सिग्नल)” शब्दों के स्थान पर, “निदेशक (विद्युत)” शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) शर्त सं0 89 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“ 89क.	यदि,--  (क) माल का आयात राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस बल या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या सीमा सुरक्षा बल या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या भारत-तिब्बत सीमा पुलिस या असम राइफल्स या रेल सुरक्षा बल या विशेष सीमांत बल द्वारा बम का पता लगाने या उसके व्ययन के प्रयोजनों के लिए किया जाता है ; और  (ख) आयातकर्ता यथास्थिति, गृह मंत्रालय या रेल मंत्रालय के किसी अधिकारी से, जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त माल उपर्युक्त उपयोग के लिए आशयित है ।”;
-----------	---

(फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण** : मूल अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 5/2014-सीमाशुल्क, तारीख 17 फरवरी, 2014 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 92 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।